<u>राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांकः– 13.07.2024, दूदू (जयपुर जिला)</u>

एन.एल.ए. बैंच संख्या :– 15

1. अध्यक्ष– शिव कुमार II
2. सदस्य– इमरान खान
मैसर्स इंडसंड बैंक बनाम पिंकी शर्मा
इजराय प्रकरण सं. 71/2022

<u>आदेश</u>

विद्वान अधिवक्ता डिक्रीदार श्री **प्रहलाद कडवा** उपस्थित। मद्यून अनुपस्थित। हस्तगत इजराय प्रकरण में **मैसर्स इंडसंड बैंक** द्वारा एकपक्षीय रूप से नियुक्त पंच (Arbitrator) द्वारा जो पंचाट जारी किया गया है, उस पंचाट के निष्पादन के लिये यह इजराय पेश की गई है।

अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय में दिनांक **17.05.2022** को इजराय संख्या **71/2022 उनवान मैसर्स इंडसंड बैंक बनाम पिंकी शर्मा** पेश की गई थी। प्रार्थी डिक्रीदार ने प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त इजराय को स्वेच्छयापूर्वक अपने सभी विधिक अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए तथा विशेषतः वाद प्रस्तुत करने एवं पुनः Arbitrator नियुक्त कराकर प्रकरण में कार्यवाही करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए उक्त इजराय को वापस लेने की (विड्रॉ करने की) अनुज्ञा न्यायालय से प्राप्त करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थी डिक्रीदार की ओर से प्रार्थना की गई है कि उक्त इजराय की पत्रावली नियत तारीख पेशी से तलब कर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करने हेतु नियत की जावे। उक्त प्रार्थना पत्र पर पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए रेफर की गई जो आज राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई हेतु पेश की गई।

अतः निवेदन किया गया है कि प्रार्थी के समस्त विधिक अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए उक्त इजराय को जरिये विड्रॉल लोक अदालत की भावना से फैसल करने की कृपा करें।

आज राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रार्थी डिक्रीदार के अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली इजराय का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण दीवानी प्रकृति का प्रकरण है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 23 नियम 1 के तहत यह प्रार्थनापत्र उक्त इजराय के प्रत्याहरण (विड्रॉल) के लिए प्रस्तुत किया गया है जो कि पूर्णतः विधिसम्मत है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी डिक्रीदार **मैसर्स इंडसंड बैंक** के समस्त विधिक अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए स्वीकार किया जाकर उक्त इजराय के विड्रॉल की अनुमति प्रदान करते हुए उक्त इजराय को जरिये विड्रॉल खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संबंधित न्यायालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए।

उक्त आदेश लोक अदालत की बैंच द्वारा दिनांक 13.07.2024 को पारित कर राष्ट्रीय लोक अदालत में लिखाया जाकर सुनाया गया।

दिनांक –

सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच दूदू	अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच दूदू